मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा टौंस नदी लॉट नं–3/14 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 27.08.2014 (अपरान्हः 2.00 बजे) स्थान राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय शीशमबाड़ा, सिंहनीवाला, जनपद देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा टौंस नदी लॉट नं–3/14 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में **राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय शीशमबाड़ा, सिंहनीवाला, जनपद देहरादून** में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 2.00 बजे अपरान्हः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा टौंस नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 25.07.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के

महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 6.7 है0 है। जो कि ग्राम मेहरेका गांव और शीशमबाड़ा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री विवेक कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से रू0 4.01 लाख के वार्षिक बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री अनिल कुमार, निवासी शीशम** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी एवं कहा गया कि खनन नियमानुसार होना चाहिए।

2. **श्री देवीप्रसाद नैनवाल, निवासी माजरी ग्रांट** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और कहा गया कि नदियों में खनन खुलना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि खनन न खुलने से गांव में बाढ़ की समस्या बनी रहती है तथा खेती की भूमि का कटाव भी होता है। खनन आरम्भ होने से निर्माण कार्य के लिये खनन सामग्री कम दरों पर क्षेत्र में ही उपलब्ध होगी।

3. **नासिर अहमद, निवासी शीशमबाड़ा** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। खनन न होने के कारण बरसात में बाढ में खेती की भूमि का कटाव होता है, जिससे किसानों की फसलों को बहुत नुकसान होता है तथा खनन न होने से बजरी/रेता/पत्थर बहुत अधिक मात्रा में रोड़ पर आ गये हैं।

4. **सलीम अहमद, निवासी सिंहनीवाला, शीशमबाड़ा** द्वारा कहा गया कि नदियों में खनन न होने से जनता बहुत परेशान है। उनके द्वारा कहा गया कि नदियों में खनन खुलना चाहिए। इससे गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध होगा, बाढ़ आदि से खेतों की जमीन नहीं कटेगी तथा अवैध खनन भी नहीं होगा।

5. **श्री विरेन्द्र सिंह (अध्यपक), निवासी सिंहनीवाला** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि अभी तक अवैज्ञानिक तरीके से खनन होने से नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है व गांव के किसानों की खेती की जमीन कट गई है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि खनन कार्य पूर्णतयाः वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए तथा पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए खनन होना चाहिए एवं उनके द्वारा कहा गया कि अवैध एवं अवैज्ञानिक खनन में पूर्णतः रोक लगनी चाहिए।

6. **आरिफ, निवासी सिंहनीवाला** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और कहा गया कि नदियों में खनन खुलना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत लोक खनन व्यवसाय पर निर्भर हैं। स्थानीय ग्रामीणों को खनन कार्य में रोजगार के साथ–साथ खनन सामाग्री में भी छूट मिलनी चाहिए।

7. **मोहम्मद याकूब, निवासी शीशमबाड़ा** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन न होने से नदी का स्तर ऊँचा हो गया है। खनन होने से गरीब

जनता को रोजगार मिलेगा और साथ ही नदियों का पानी बीचोंबीच बहेगा, जिससे बाढ़ का खतरा नहीं होगा।

8. **महिपाल सिंह, निवासी शीशमबाड़ा** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन होने से गरीब जनता को रोजगार मिलेगा।

9. **श्री चन्द्रशेखर जोशी, निवासी शीशमबाड़ा** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए तथा खनन कार्य के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीकों की निगरानी हेतु स्थानीय जन प्रतिनिधियों की समिति का गठन किया जाना चाहिए।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तरित किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है। खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा।

यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)
अनु0 सहा0

(सुभाष पंवार)
अ0 अभियन्ता

27.8.14
(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देहरादून

DATE

सौंग नदी के लॉट संख्या 3/14 में चुगान/खनन हेतु दिनांक 27/08/2[illegible] (अपरा-ह 2.00) स्थान राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय शीशमबाड़ा सिंहनीवाला ग्राम पंचायत शीशमबाड़ा, जनपद देहरादून में लोक सुनवाई में उपस्थित माननीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका :-

क्र०सं०	नाम व पद	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
(1.)	श्री प्रताप सिंह शाह (ADmn F/R)	जिला प्रशासन, देहरादून	975666655	[signature]
(2)	श्री सुभाष पंवार (अ० अभि०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9410393545	[signature]
(3)	श्री सुनील डबराल (अनु० सहा०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9634857820	[signature]
(4)	विवेक कुमार (Asst. Manager)	GRC India P(Ltd) Noida	8377078376	[signature]
5	अनिल कुमार	शीशमबाड़ा	9719769061	[signature]
6-	नासिर अहमद	शीशमबाड़ा	9758013121	[signature]
7	अब्दुल सत्तार	शीशमबाड़ा	9917717667	[signature]
8	जगदीश प्रसाद	कारबारी	9412028849.	[signature]
9	गौरव राम	शीशमबाड़ा		गौरव
10	महिपाल सिंह	शीशमबाड़ा		[signature]
11	अनिल पाल	शेरपुर	9627414165	[signature]
12.	भगवान सिंह	शीशमबाड़ा	9720202108	[signature]
13	चमोलिह	रा० पू० मा० वि० शीशमबाड़ा	8859228513	[signature]
14	वीरेन्द्र सिंह	रा०पू०मा० वि० शीशमबाड़ा	9411724155	[signature]
15	शहजाद खान	शीशमबाड़ा	9997829158	[signature]
(16)	चन्द्रशेखर	शीशमबाड़ा	9627578618	[signature]

	नाम	पता	संपर्क सूत्र	हस्ताक्षर
17	विक्रान्त कुमार	नेहरूवालान		हस्ताक्षर
18	सलीम	रामनगर		[signature]
19	शकील			सलीम
20	Mikram	शीशमबाड़ा		[signature]
21	शहरयार	शीशमबाड़ा		Mikram
22	अनुराग			[signature]
23	लाखन	शीशमबाड़ा		[signature]
24	Yakub			[signature]
25	शानू सिंह	Sheshambala		Sonu
26	मुकेश	चन्द्रमान		Yakub
27	अंकित	शीशमबाड़ा		शानू सिंह
28	सौरभ			[signature]
29	सतीश कुमार	शीशमबाड़ा		Chand
30	बाबूराम	शीशमबाड़ा		Satish
31	शहजाद	शीशमबाड़ा		बाबूराम
	हारून	शीशमबाड़ा		शहजाद
	असारफ	शीशमबाड़ा		हारून
	नरेश कुमार	शीशमबाड़ा		असारफ
	अमोद अहमद	"		नरेश कुमार
	Shamshad	"		अमोद अहमद
	डी एम नेगी	"		Shamshad
	Virendra Singh Rawat	G.M.V.N Ltd		[signature]
	Alam Singh	G.M.V.N Ltd		[signature]
	[illegible]	G.M.V.N.		[signature]
	[illegible]	शीशमबाड़ा		[signature]

DATE

	नाम	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
45	आशीष	सिंहनीवाला देहरादून	9756501210	[illegible]
46.	Nikhil Sharma	Tmvn. Road	9897735856	[illegible]